मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल के अंतर्गत वनरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2012

आनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 24.01.2012 आनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 23.02.2012

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में वनरक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2012 आयोजित की जा रही है, जिसका परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

1. चयन प्रक्रिया के चरण, चयन के संबंध में निर्धारित अर्हता संबंधी विस्तृत जानकारी मंडल की वेबसाइड www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि इसका भलीभांति अध्ययन कर ही आवेदन पत्र भरें।
2. वनरक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा साक्षात्कार, शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल आयोजित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए 9 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को ही साक्षात्कार, शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं पैदल चाल हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
3. **साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण जिसमें पैदल चाल भी सम्मिलित है, की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से उपयुक्त अभ्यार्थियों को डाक से भेजी जायेगी तथा मंडल के वेबसाईड पर भी उपलब्ध होगी। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर पृथक से इसका आयोजन नहीं किया जायेगा।**
4. **परीक्षा दिनांक 15.04.2012 रविवार (प्रातः 10.00 से 12.15 बजे तक)**
5. **पदनाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता**

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
वनरक्षक कुल पद– 1384	5200–20200+1800 ग्रेड पे प्रशिक्षण उपरांत : 5200–20200+1900 ग्रेड पे	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 पद्धति से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण।

6. आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
7. **मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमाः**
   दिनांक 1 जनवरी 2013 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष से कम होना चाहिए। उच्चतम आयु सीमा में श्रेणीवार निम्नानुसार छूट मान्य की जावेगीः–

स.क्र.	आवेदक	श्रेणी	आयु का विवरण
1.	**लिंग**	सामान्य/अनारक्षित	निरंक
2.	पुरूष	आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
3.	महिला	आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति	यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
4.	महिला	1. सामान्य वर्ग – विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा	उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथलनीय होगा।
		2. आरक्षित–अजा/अजजा/ विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा।	उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथलनीय होगा।

नोटः

(1) मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट संबंधी विवरण नियम–पुस्तिका में उपलब्ध है, जो कि मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध है।

(2) आरक्षण की सुविधा केवल मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए ही उपलब्ध होगी।

8. **लिखित परीक्षा :**

लिखित परीक्षा में गणित (माध्यमिक स्तर का) के 40 प्रश्न व सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न, इस प्रकार कुल 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रश्न–पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में 2:00 घंटे की अवधि का होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा । इस प्रकार कुल 70 अंक होंगे।

9. **शारीरिक क्षमता परीक्षण :**

(1) शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसमें वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगाः–

शारीरिक प्रमाप	ऊँचाई	सीना सामान्य	सीने का न्यूनतम फुलाव
पुरूष	163 से.मी.	79 से.मी.	05 से.मी.
महिला	150 से.मी.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

टिप्पणीः (क) अनुसूचित जनजाति के लिये पुरूष अभ्यार्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. तथा महिला अभ्यार्थी की 145 से.मी. होना चाहिये ।

(ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण (Chest relaxation) किया जाएगा।

(ग) अभ्यार्थियों के शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यार्थी समिति के प्रमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाप के समय दोबारा प्रमाप कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र दे सकता है कि दोबारा मापने के परिणाम को अंतिम माना जायेगा एवं वह उससे सहमत रहेंगे तथा बाद में इस संबंध में कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। **अभ्यार्थी के लिखित घोषणा पत्र के आधार पर स्थल पर उपस्थित एक अपीलीय समिति जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा पुनः प्रमाप किया जाएगा। अपीलीय समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यार्थी पर बंधनकारी होगा। वन विभाग द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो परिमाप अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा उसके पश्चात पुनः परिमाप की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा शारीरिक माप करने का प्रावधान नहीं है।**

(घ) शारीरिक क्षमता परीक्षण में अभ्यार्थी का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

(2) **पैदल चालः**

(क) **पुरूष अभ्यार्थियों** को 4 घंटे में 25 कि.मी. एवं **महिला अभ्यार्थियों** को 4 घंटे में 14 कि.मी. की दूरी पैदल पूर्ण करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है इसके लिए कोई अंक नहीं दिये जाएंगे। प्रत्येक अभ्यार्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारम्भ होने के 60 मिनिट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। पैदल चाल प्रारम्भ होने के पश्चात् अधिकतम 30 मिनिट बाद तक ही किसी अभ्यार्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी, परन्तु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय तक पैदल चाल पूर्ण करना होगा। विलम्ब से पैदल चाल प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। **पैदल चाल प्रारम्भ होने के 30 मिनिट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जावेगी।**
किसी भी अभ्यार्थी को दोबारा पैदल चाल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं जायेगी, क्योंकि म0प्र0 तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 में ऐसा प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रत्येक अभ्यार्थी को पैदल चाल में भाग लेने के लिए उन्हें जारी admit Card लाना अनिवार्य होगा।

(ग) पैदल चाल में अभ्यार्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

10. परीक्षा शहर एवं जिलेवार वर्गवार उपलब्ध पदः

(i) लिखित परीक्षा का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य के भिण्ड एवं दतिया जिलों को छोड़कर समस्त जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जायेगी। आवेदक जिस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा उसे उसी जिले के परीक्षा शहर में परीक्षा हेतु शामिल किया जायेगा एवं चयनित होने पर जिले में भर्ती के समय जिले के रोस्टर अनुसार तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती किया जा सकेगा। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिये जायेंगे।

(ii) जिलेवार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वनरक्षकों के पदों की जानकारी निम्नानुसार हैं। पदों की संख्या जिसमें भर्ती प्रस्तावित है अधिकतम है। भर्ती के समय संबंधित जिले के रोस्टर अनुसार तत्समय उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती किया जा सकेगा।

(iii) यदि कोई आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे आवेदकों को अनारक्षित मान्य करते हुए कार्यवाही की जाएगी ।

वनरक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार श्रेणीवार व संवर्गवार क्षैतिज आरक्षण तालिका

स. क्र.	जिले का नाम	अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग
		निल		भू.पू.सै.	निल		भू.पू.सै.	निल		भू.पू.सै.	
		ओपन	महिला	–	ओपन	महिला	–	ओपन	महिला	–	
1.	बालाघाट	53	7	7	0	0	0	13	2	2	84
2.	बैतूल	37	5	5	10	1	1	35	4	4	102
3.	भोपाल	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4.	रायसेन	13	2	2	7	1	1	9	1	1	37
5.	विदिशा	8	1	1	3	1	1	3	0	0	18
6.	राजगढ़	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4
7.	सीहोर	9	1	1	1	0	0	1	0	0	13
8.	पन्ना	11	1	1	14	2	2	12	2	2	47
9.	छतरपुर	3	0	0	7	1	1	6	1	1	20
10.	टीकमगढ़	5	1	1	3	1	1	0	0	0	12
11.	छिंदवाड़ा	38	5	5	3	1	1	17	2	2	74
12.	ग्वालियर	6	1	1	0	0	0	0	0	0	8
13.	मुरैना	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
14.	श्योपुर	0	0	0	6	1	1	21	3	3	35
15.	होशंगाबाद	12	2	2	0	0	0	6	1	1	24
16.	हरदा	18	2	2	5	0	0	3	0	0	30
17.	इंदौर	18	2	2	5	0	0	0	0	0	27
18.	झाबुआ	0	0	0	3	0	0	31	4	4	42
19.	धार	4	1	1	0	0	0	3	1	1	11
20.	अलीराजपुर	0	0	0	3	0	0	27	3	3	36
21.	जबलपुर	5	0	0	4	0	0	0	0	0	9
22.	कटनी	2	0	0	2	0	0	4	0	0	8
23.	डिण्डौरी	5	1	1	0	0	0	6	1	1	15
24.	मण्डला	4	0	0	0	0	0	50	6	6	66
25.	खण्डवा	38	5	5	9	1	1	17	2	2	80
26.	बुरहानपुर	19	2	2	3	0	0	8	1	1	36
27.	खरगोन	7	1	1	2	0	0	16	2	2	31
28.	बडवानी	5	1	1	2	0	0	3	1	1	14
29.	रीवा	0	0	0	12	1	1	0	0	0	14
30.	सतना	0	0	0	9	1	1	2	0	0	13

स. क्र.	जिले का नाम	अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			योग
		निल		भू.पू.सै.	निल		भू.पू.सै.	निल		भू.पू.सै.	
		ओपन	महिला	–	ओपन	महिला	–	ओपन	महिला	–	
31.	सीधी	2	0	0	5	1	1	10	2	2	23
32.	सिंगरौली	1	0	0	3	1	1	2	0	0	8
33.	सागर	26	3	3	11	1	1	7	1	1	54
34.	दमोह	5	0	0	13	2	2	9	1	1	33
35.	सिवनी	36	5	5	5	1	1	17	2	2	74
36.	नरसिंहपुर	4	1	1	7	1	1	5	1	1	22
37.	अनूपपुर	4	1	1	2	0	0	8	1	1	18
38.	शहडोल	4	0	0	9	1	1	33	4	4	56
39.	उमरिया	3	1	1	7	1	1	19	2	2	37
40.	गुना	7	1	1	10	1	1	3	0	0	24
41.	शिवपुरी	1	0	0	8	1	1	3	1	1	16
42.	अशोकनगर	7	1	1	3	1	1	4	0	0	18
43.	उज्जैन	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
44.	शाजापुर	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
45.	रतलाम	1	0	0	0	0	0	3	0	0	4
46.	मंदसौर	6	1	1	1	0	0	1	0	0	10
47.	नीमच	11	1	1	3	0	0	2	0	0	18
48.	देवास	18	2	2	11	2	2	6	1	1	45
	योग	471	59	59	212	26	26	425	53	53	1384

11. **आवेदन पत्र की उपलब्धता:** परीक्षा का आवेदन **केवल ऑनलाईन** www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से **दिनांक 24.01.2012. से 23.02.2012 तक** भरा जा सकता है। सीधी भर्ती के पदों हेतु **अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु परीक्षा शुल्क रू 500/–** तथा **अनुसूचित जाति/जनजाति** के अभ्यार्थियों के लिए **परीक्षा शुल्क रू. 250/–** का भुगतान डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड/मास्टरियों कार्ड)/क्रेडिट (कोई वीजा/मास्टर कार्ड) या इन्टरनेंट बैकिंग के माध्यम से अथवा एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध अधिकृत क्योस्क धारक के माध्यम से नगद किया जा सकता है। सभी अभ्यार्थियों द्वारा अधिकृत क्योस्क को सिर्फ **रू. 50/–** एम.पी. आनलाईन "क्योस्क" शुल्क अतिरिक्त देय होगा। क्योस्क केन्द्रों की पूर्ण पते सहित जानकारी मंडल की वेबसाईट के होम पेज पर उपलब्ध लिंक क्योस्क लिस्ट (Kiosk List) पर उपलब्ध है।

<u>नोटः</u>

(1) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यार्थिता निरस्त समझी जायेगी।

(2) संबंधित रिक्त आरक्षण वार पदों की जानकारी/उच्चतर आयु सीमा में छूट, आवेदन पत्र निरस्त होने के कारणों की सूचना, त्रुटि सुधार संबंधी जानकारी, परीक्षा की योजना सहित परीक्षा से संबंधित अन्य पूर्ण विवरण मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध है।

(3) परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा प्रवेश पत्र (T.A.C.) मंडल की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यार्थी डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, मंडल द्वारा प्रवेश पत्र (T.A.C.) डाक से प्रेषित नहीं किये जायेंगे। प्रवेश पत्र मंडल के वेबसाईट पर अपलोड होने की सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा, परन्तु प्रवेश पत्र केवल वेबसाईट से ही डाउनलोड किये जा सकेंगे।

(4) वनरक्षक फील्ड का पद होने के कारण विकलांगों को भर्ती में शामिल करने का प्रावधान नहीं है ।

विज्ञापन कमांकः 13/2012 **संचालक**